निर्णय न्यायालय श्री नरेन्द्र कुमार मीना आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर।

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
112/2020	16.10.2020	02-9-.2021

1.भंवरपाल पुत्र ठण्डी जाति मीना निवासी खण्डीप तहसील वजीरपुर
——वादी

बनाम

1किरोडी पुत्र धमण्डी जाति मीना निवासी खण्डीप तहसील वजीरपुर
2.गबरी पुत्र घमण्डी जाति मीना निवासी खण्डीप तहसील वजीरपुर
3.लैण्डहोल्डर जरिये तहसीलदार वजीरपुर
4.जमनीलाल पुत्र भूपाल जाति मीना निवासी खण्डीप तहसील वजीरपुर
5.श्यामलाल पुत्र भूपाल जाति मीना निवासी खण्डीप तहसील वजीरपुर
6.मु.गुलबाई बेवा स्व0 भूपाल जाति मीना निवासी खण्डीप तहसील वजीरपुर
——प्रतिवादीगण

दावा बाबत् भूमि विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :— श्री मो.इस्लाम,एडवोकेट प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से

निर्णय

वादी द्वारा वादपत्र इस आशय का पेश किया है कि ग्राम खण्डीप तहसील वजीरपुर में वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की शामलाती भूमि खसरा नं0 2252 रकवा 0.10 हैक्टर, 2258 रकवा 0.02 हैक्टर, 2259 रकवा 0.18 हैक्टर, 2268 रकवा 0.23 हैक्टर, 2786/4344 रकवा 0.05 हैक्टर 3339 रकवा 0.52 हैक्टर,3349 रकवा 0.26 हैक्टर,3350 रकवा 0.10 हैक्टर,3351 रकवा 0.03 हैक्टर, 3352 रकवा 0.31 हैक्टर, 3353 रकवा 0.30 हैक्टर,3354 रकवा 0.30 हैक्टर, 3356 रकवा 0.40 हैक्टर, 3357 रकवा 0.37 हैक्टर, 3358 रकवा 0.37 हैक्टर, 2008 रकवा 0.07 हैक्टर, 2021 रकवा 0.24 हैक्टर, 2042 रकवा 0.05 हैक्टर, 2051 रकवा 0.29 हैक्टर, 2052 रकवा 0.17 हैक्टर, 2053 रकवा 0.17 हैक्टर, 2054 रकवा 0.15 हैक्टर, 2055 रकवा 0.06 हैक्टर, 2204 रकवा 0.27 हैक्टर, 2205 रकवा 0.10 हैक्टर, कुल किता 26 कुल रकवा 5.55 हैक्टर में वादी का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी नंम्बर 1 व 2 का 2/3 हिस्सा है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 भूमि को शामलाती काश्त करते हैं। खसरा नं0 2043 रकवा 0.03 हैक्टर,2056 रकवा 0.10 हैक्टर में वादी व प्रतिवादी नं0 1 व 2 का 4/5 हिस्सा तथा प्रतिवादी नं0 3,4,5 का 1/5 हिस्सा है। ख0न0 2056 गैर मुमकिन चाह मुख्य सडक खण्डीप से नवाजीपुरा जाने वाले रोड पर स्थित है। मुख्य सडक रोड से उक्त चाह में जाने का रास्ता हे, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिनांक 24.8.2006 को मुख्य रोड पर उक्त चाह पर जाने वाले पर फर्सियां गाढ दी तथा रास्ता अवरुद्ध कर दिया,वादी व अन्य सभी का खतों में जाने का व कुआं

पर आने जाने का रास्ता बन्द हो गया,जिस पर दिनांक 24.9.2016 को सोलह गांव की पंचायत ग्राम खण्डीप में जुडवाई,जिसमें रास्ता खुलवाने व भूमि को काश्त करवाने का फेसला किया, जिसमें दोनो पक्षों ने पंचों के फेसले को मानने में सहमति जताई,इसके बाद भी प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी को अपने खेतों व कुएं पर नही जाने दिया तथा रास्ता नही खोला इसलिए यह दावा बाबत विभाजन भूमि पेश करना आवश्यक हुआ। दावा वादी रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार सरस व नरस के आधार पर स्वीकार कर भूमि का विभाजन कर खाते अलग अलग किये जावें। खसरा नं0 2043 रकवा 0.03 हैक्टर गैर मुमकिन चाह, 2056 रकवा 0.10 हैक्टर गैर मुमकिन चाह को रिकार्ड में पूर्व की भांति रखा जावे तथा प्रतिवादी नं0 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह खसरा नं0 2056 गैर मुमकिन चाह पर जाने वाले रास्ते से फर्सियों को हटावें एवं वादी को अपने खेतो पर व उक्त चाह पर आने जाने में बाधा उत्पन्न नही करें।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया जिस पर दिनांक 1.3.2017 को प्रतिवादी नं0 1 की और से उनके अभिभाषक उपस्थित आये तथा जवाब को समय चाहा प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के असालतन/वकालतन उपस्थित नही होने के कारण वाद तामील एक तरफा कार्यवाही की गई, दिनांक 24.4.2017 को प्रतिवादी नं0 1 ने जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम इस आशय का पेश किया कि विवादित भूमि में वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के मध्य अर्सा करीब 35 वर्ष पूर्व उक्त भूमि का आपसी सहमति से मौके पर विभाजन हो गया उसी अनुसार वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 मौके पर काविज काश्त है तथा प्रतिवादी नं0 1 अपने हिस्से 1/3 की भूमि को काफी खर्चा कर काविल काश्त बनाया। प्रतिवादी सं0 1 ने भूमि खसरा नं0 2054 रकवा 0.15 हैक्टर मे अपना पुख्ता मकान बना रखा है,जिसमें करीब 12 कमरे एक हाल व उसमें रोड साईड में दो दुकान तथा करीब दस कमरों की दासाबंदी तक निमार्ण हो रहा है, पुख्ता लेट्रिन बाथरूम बना रखें हैं तथा अपने खेतों की सिचांई हेतु दो बोर खुदवा रखे हैं, जो दोनो चालू है, चारो तरफ फर्सियां गाढकर बाउन्डरीवाल कर रखी है।उक्त मकान करीब 20 वर्षो पूर्व से हैं। विघुत कनेक्शन भी मकान में प्रतिवादी नं0 1 ने ले रखा है यदि भूमि का विभाजन 35 साल पूर्व न होता तो वादी व प्रतिवादी नं0 2 प्रतिवादी संख्या 1 को मकान क्यो बनाने देते तथा 20 वर्ष पूर्व बाउन्डरीवाल क्यों करने दी। जिससे स्पष्ट हैं कि पूर्व में वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 मे विभाजन भूमि सहमति से हो गया था अब वादी व प्रतिवादी की नियत खराब हो गयी है। इसलिए ये लोग प्रतिवादी नं0 1 के कब्जे की भूमि से विभाजन करवाना चाहतें है। जिसका उन्हें कोई अधिकार नही है। भूमि ख0न0 2054,2055,3352,3353,3354,3358 सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी नं0 1 के हिस्से में आयी भूमि है, खसरा नं0 3354 में प्रतिवादी नं 1 ने भूमि विकास के लिए कृषि यंत्र इत्यादि रखने के लिए चार गह पाटोर बना रखी हे तथा कुण्डा बना रखा है,कुएं मे बोरिंग में स्वयं के नाम विधुत कनेक्शन ले रखा हैं। ख0न0 2054 में भी जानवरों को पानी की प्याउ बना रखी है। ख0न0 3339 दो हिस्सो में में बांट रखा है। जिसमें उत्तर दिशा वाला हिस्सा 1/2 गवरी के हिस्सें में व दक्षिण दिशा वाला हिस्सा 1/2 प्रतिवादी नं0 1 के हिस्से में आया है,ख0न0 2259 प्रतिवादी नं01 के हिस्से में है,ख0न0 2258 में कुआं है जिसमें प्रतिवादी सं0 1 का 1/3 हिस्सा है,ख0न0 2204 व 2205 में वादी व प्रतिवादी नं01 व 2 का बराबर हिस्सा है,ख0न0 2056 गैर मुमकिन चाह का रिकार्डेड रास्ता

नही है। शुरू से ही उक्त चाह पर आने जाने के लिए ख0न0 2268 व 2259 के बीच की मेड से होकर ही रास्ता है पृथक से कोई रास्ता नही है,दिनांक 24.8.2016 को कोई फर्शियां नही गाढी,फर्शियां 20 वर्षो से गढी हुई है। प्रतिवादी नं0 1 ने कोई रास्ता नही रोका वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ने आपस में साज कर के प्रतिवादी नं0 1 के हिस्से की भूमि पर कब्जा करने की नियत से तथा अपने हिस्से पर काश्त करके प्रतिवादी नं0 1 को उसके हिस्से पर काश्त नही करने दे रहे है। जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय से अपने हिस्से की भूमि पर काश्त हेतु पुलिस इमदाद के आदेश प्राप्त किये परन्तु वादी पूर्व में पंचायत प्रधान रह चुका है,इसलिए उसके प्रभाव में आकर तहसीलदार वजीरपुर व एसएचओ वजीरपुर ने पुलिस इमदाद देने से मना कर दिया,जिस पर 16 गावों की पंचायत प्रतिवादी न0 1 ने बुलाई जिसने 35 वर्षों के बंटवारे अनुसार प्रतिवादी नं0 1 के हक में निर्णय दिया लेकिन वादी व प्रतिवादी नं0 2 पंचों के फैसले को भी मानने को तैयार नही है। भूमि का बटंवारा हो चुका है,इसलिए पुनः बंटवारे का कोई अधिकार नही है इसलिए भूमि का विभाजन 35 वर्ष पूर्व हुये बंटवारे के अनुसार प्रतिवादी नं0 1 के हिस्से में आई भूमि उसे दी जाकर कब्जे अुनसार खाते पृथक पृथक कर दिये जावें।

वादी ने प्रतिवादी नं0 1 के काउन्टर क्लेम के जवाब में बताया कि वादी व प्रतिवादीगण के मध्य 35 वर्ष पूर्व विभाजन होना गलत दर्ज किया है। प्रतिवादी नं0 1 ने यह नही बताया कि 35 वर्ष पूर्व किस दिन किस तारीख को बंटवारा हुआ। उसके हिस्से में कौनसी भूमि आई,बंटवारा किसके सामने हुआ,काउन्टर क्लेम केवल कपोल कल्पित तथ्यों के आधार पर पेश किया है,मौके पर भूमि में जो निर्माण है वह शामलाती रूप से सभी के सहयोग से किये गये हैं।जिनमें वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का समान हिस्सा है। काउन्टर क्लेम की आड में उक्त शामलाती मकान को हडपना चाहता है। भूमि का विभाजन रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार सरस नरस के अनुसार किया जावे।

पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत दावे,जवाब दावे व काउन्टर क्लेम व उसके जवाब के आधार पर प्रकरण में तनकीयात कायम कर प्रकरण में साक्ष्य सबूत लिये गये।

वादी ने अपने दावे के समर्थन में दस्तावेजात नकल नक्शा ट्रेस प्रर्दश – 1, नकल नक्शा ट्रेस प्रर्दश –2,नकल जमाबंदी संवत् 2072–75 प्रदर्श –3,नकल जमाबंदी संवत् 2072–75 प्रदर्श–4,नकल जमाबंदी संवत् 2072–75 प्रदर्श–5,नकल जमाबंदी संवत् 2072–75 प्रदर्श–6, पेश किये तथा गवाह पी0ड0 1 भॅवरपाल के बयान कराये हैं। प्रतिवादी ने कोई दस्तावेजी सबूत पेश नही की तथा गवाह डी0ड0 1 किरोडी के बयान कराये हैं।

उक्त वाद में वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनने के पश्चात् प्रकरण का तनकीवार विवेचन किया जाकर दिनांक 18.7.2019 को दावा वादी खारिज कर काउन्टर क्लेम प्रतिवादी संख्या 1 इस आशय का प्राथमिक डिकी किया गया कि भूमि खसरा नं0 2252 रकवा 0.10 हैक्टर, 2258 रकवा 0.02 हैक्टर, 2259 रकवा 0.18 हैक्टर, 2268 रकवा 0.23 हैक्टर, 2786/4344 रकवा 0.05 हैक्टर, 3339 रकवा 0.52 हैक्टर 3349 रकवा 0.26 हैक्टर, 3350 रकवा 0.10 हैक्टर, 3351 रकवा 0.03 हैक्टर, 3352 रकवा 0.31 हैक्टर, 3353 रकवा 0.30 हैक्टर, 3354रकवा 0.30 हैक्टर, 3355 रकवा 0.54 हैक्टर, 3356 रकवा 0.40 हैक्टर, 3357 रकवा 0.37 हैक्टर, 3358 रकवा 0.47 हैक्टर, 2008 रकवा 0.07 हैक्टर, 2021 रकवा 0.24

हैक्टर, 2042 रकवा 0.05 हैक्टर, 2051 रकवा 0.29 हैक्टर, 2052 ररकवा 0.17 हैक्टर, 2053 रकवा 0.17 हैक्टर, 2054 रकवा 0.15 हैक्टर, 2055 रकवा 0.06 हैक्टर, 2204 रकवा 0.27 हैक्टर, 2205 रकवा 0.10 हैक्टर, एवं भूमि खसरा नं0 2043 रकवा 0.03 हैक्टर, 2056 रकवा 0.10 हैक्टर स्थित ग्राम खण्डीप तहसील वजीरपुर में रिकार्ड में दर्ज पक्षकारान के हिस्सें एवं मौके पर कब्जे अनुसार विभाजन स्कीम तैयार करने हेतु तहसीलदार वजीरपुर को 1000/— रूपये फीस पर मौका कमिश्नर नियुक्त कर विभाजन स्कीम दो प्रतियों में न्यायालय मे पेश करने हेतु निदेर्शित कर पर्चा प्राथमिक डिक्री जारी की गई।

प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार वजीरपुर से विभाजन स्कीम निम्न अनुसार प्राप्त हुईः—

1.खसरा नं0 2252 रकवा 0.10 हैक्टर, 3339 रकवा 0.09 हैक्टर, 3349 रकवा 0.26 हैक्टर, 3356 रकवा 0.40 हैक्टर, 3357 रकवा 0.37 हैक्टर, 2021/1 रकवा 0.10 हैक्टर, 2042 रकवा 0.03 हैक्टर, 2051 रकवा 0.29 हैक्टर, 2204/1 रकवा 0.23 हैक्टर कुल किता 9 कुल रकवा 1.87 हैक्टर भंवरपाल पुत्र ठण्डी जाति मीना सा. देह खातेदार रहिन अरावली क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा खण्डीप के हिस्से में रहेगी।

2.खसरा नं0 2268 रकवा 0.23 हैक्टर, 3339/2 रकवा 0.12 हैक्टर, 3355 रकवा 0.54 हैक्टर, 2008 रकवा 0.07 हैक्टर, 2021 रकवा 0.04 हैक्टर, 2042/1 रकवा 0.02 हैक्टर, 2052 रकवा 0.17 हैक्टर, 2053 रकवा 0.11 हैक्टर, 2204 रकवा 0.04 हैक्टर, 2205/1 रकवा 0.03 हैक्टर कुल किता 10 कुल रकवा 1.37 हैक्टर गबरी पुत्र घमण्डी जाति मीना सा.देह खातेदार राहिन बडोदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा खण्डीप के हिस्से में रहेगी।

3.खसरा नं0 2259 रकवा 0.18 हैक्टर, 3339/1 रकवा 0.31 हैक्टर, 3352 रकवा 0.31 हैक्टर, 3353 रकवा 0.30 हैक्टर, 3354 रकवा 0.30 हैक्टर, 3358 रकवा 0.47 हैक्टर, 2021/2 रकवा 0.10 हैक्टर, 2053/1 रकवा 0.06 हैक्टर, 2054 रकवा 0. 15 हैक्टर, 2055 रकवा 0.06 हैक्टर, 2205 रकवा 0.07 हैक्टर कुल किता 11 कुल रकवा 2.31 हैक्टर, किरोडी पुत्र घमण्डी जाति मीना सा.देह राहिन बडोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा खण्डीप के हिस्से में रहेगी।

4.खसरा नं0 2786/4344 रकवा 0.05 हैक्टर, 3350 रकवा 0.10 हैक्टर, 3351 रकवा 0.03 हैक्टर, 2258 रकवा 0.02 हैक्टर, कुल किता 4 कुल रकवा 0.20 हैक्टर, भंवरपाल पुत्र ठण्डी जाति मीना सा.देह हिस्सा 1/3 राहिन अरावली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा खण्डीप, गबरी, किरोडी पिसरान् घमण्डी जाति मीना सा.देह हिस्सा 2/3 राहिन बडोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा खण्डीप जाति मीना सा.देह खातेदार के हिस्से में रहेगी।

5.खसरा नं0 2043 रकवा 0.03 हैक्टर, 2056 रकवा 0.10 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकवा 0.13 हैक्टर भंवरपाल,गबरी,किरोडी,नारायण पिसरान् ठण्डी हिस्सा 4/5, जमनीलाल,श्यामलाल पुत्र भूपाल हिस्सा 2/15, गुलबाई पत्नि स्व0 भूपाल हिस्सा 1/15 जाति मीना सा. देह के नाम रहेगी।

तहसीलदार वजीरपुर द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन स्कीम में इस आशय का नोट अंकन है कि खसरा नं0 3348रकवा 0.30 भंवरपाल पुत्र ठण्डी राहिन बडोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा खण्डीप,खसरा नं0 3347 रकवा 0.34 हैक्टर गबरी पुत्र घमण्डी, 3346 रकवा 0.31 हैक्टर किरोडी पुत्र घमण्डी एवं खसरा नं0 3360 रकवा 0.45 हैक्टर में रम्भू पुत्र शिवजी वगैरहा सहखातेदारों के साथ

भंवरपाल पुत्र ठण्डी हिस्सा 1/12 गबरी,किरोडी पिसरान घमण्डी हिस्सा 1/6 खातेदार दर्ज है उक्त खसरा नम्बरान प्राथमिक डिक्री में शामिल नही किये गये है जिससे रकबे में अन्तर आता है। उक्त खसरा नम्बरों में से 3348,3347,3346 पर गबरी पुत्र घमण्डी का कब्जा है एवं खसरा नं0 3360 पर भवंरपाल का कब्जा है ,उक्त खसरा नम्बरों को जोडने के बाद ही रकवा सभी का बराबर होता है।

वादी की और से कोई उपस्थित नही इसलिए दावा वादी अदम हाजरी व अदम पैरवी में खरिज किया गया तथा काउन्टर क्लेम प्रतिवादी संख्या 1 पर वकील प्रतिवादी को सुना गया। वकील प्रतिवादी ने विभाजन स्कीम अनुसार काउन्टर क्लेम डिक्री करने में सहमति जाहिर की।

बहस वकील प्रतिवादी पर मनन किया तथा पत्रावली व विभाजन स्कीम का अवलोकन किया।विभाजन स्कीम को वकील प्रतिवादी ने स्वीकार कर काउन्टर क्लेम डिक्री करने का निवेदन किया है, परन्तु विभाजन स्कीम में खसरा नं0 3348 रकवा 0.30 हैक्टर,3347 रकवा 0.31 हैक्टर,3360 रकवा0.45 हैक्टर,की खातेदारी व कब्जे का वर्णन किया गया है परन्तु वादी द्वारा अपने वाद पत्र में व प्रतिवादी द्वारा अपने काउन्टर क्लेम में उक्त खसरा नम्बरान के बाबत् कोई अनुतोष न्यायालय से नही चाहा गया है ऐसी स्थिति में उक्त खसरा नम्बरान के बाबत् उक्त प्रकरण में कोई अनुतोष नही दिया जा सकता। उक्त खसरा नम्बरान् हेतु वादी व प्रतिवादीगण नया वाद पेश करने हेतु स्वतंत्र है।

अतः विभाजन स्कीम को आशिंक रूप से स्वीकार करते हुए काउन्टर क्लेम प्रतिवादी डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः काउन्टर क्लेम मुताबिक विभाजन स्कीम इस आशय का डिक्री किया जाता है कि :–

1.खसरा नं02252 रकवा 0.10 हैक्टर,3339 रकवा 0.09 हैक्टर,3349 रकवा 0.26 हैक्टर,3356 रकवा 0.40 हैक्टर,3357 रकवा 0.37 हैक्टर,2021/1 रकवा 0.10 हैक्टर,2042 रकवा 0.03 हैक्टर, 2051 रकवा 0.29 हैक्टर ,2204/1 रकवा 0.23 हैक्टर कुल किता 9 कुल रकवा 1.87 हैक्टर भंवरपाल पुत्र ठण्डी जाति मीना सा. देह खातेदार रहिन अरावली क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा खण्डीप के हिस्से में रहेगी।

2.खसरा नं02268 रकवा 0.23 हैक्टर, 3393/2 रकवा 0.12 हैक्टर, 3355 रकवा 0. 54 हैक्टर, 2008 रकवा 0.07 हैक्टर, 2021 रकवा 0.04 हैक्टर, 2042/1 रकवा 0. 02 हैक्टर, 2052 रकवा 0.17 हैक्टर, 2053 रकवा 0.11 हैक्टर, 2204 रकवा 0.04 हैक्टर,2205/1 रकवा 0.03 हैक्टर कुल किता 10 कुल रकवा 1.37 हैक्टर गबरी पुत्र घमण्डी जाति मीना सा.देह खातेदार राहिन बडोदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा खण्डीप के हिस्से में रहेगी।

3.खसरा नं0 2259 रकवा 0.18 हैक्टर, 3393/1 रकवा 0.31 हैक्टर, 3352 रकवा 0.31 हैक्टर, 3353 रकवा 0.30 हैक्टर, 3354 रकवा 0.30 हैक्टर, 3358 रकवा 0.47 हैक्टर, 2021/2 रकवा 0.10 हैक्टर,2053/1 रकवा 0.06 हैक्टर, 2054 रकवा 0.15 हैक्टर, 2055 रकवा 0.06 हैक्टर,2205 रकवा 0.07 हैक्टर कुल किता 11 कुल रकवा 2.31 हैक्टर, किरोडी पुत्र घमण्डी जाति मीना सा.देह राहिन बडोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा खण्डीप के हिस्से में रहेगी।

4.खसरा नं0 2786/4344 रकवा 0.05 हैक्टर, 3350 रकवा 0.10 हैक्टर, 3351 रकवा 0.03 हैक्टर, 2258 रकवा 0.02 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकवा 0.20 हैक्टर, भंवरपाल पुत्र ठण्डी जाति मीना सा.देह हिस्सा 1/3 राहिन अरावली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा खण्डीप, गबरी, किरोडी पिसरान् घमण्डी जाति मीना सा.देह हिस्सा 2/3 राहिन बडोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा खण्डीप जाति मीना सा. देह खातेदार के हिस्से में रहेगी।

5.खसरा नं0 2043 रकवा 0.03 हैक्टर,2056 रकवा 0.10 हैक्टर,कुल किता 2 कुल रकवा 0.13 हैक्टर भवंरपाल,गबरी,किरोडी,नारायण पिसरान् ठण्डी हिस्सा 4/5, जमनीलाल,श्यामलाल, पुत्र भूपाल हिस्सा 2/15, गुलबाई पत्नि स्व0 भूपाल हिस्सा 1/15, गुलबाई पत्नि स्व0 भूपाल हिस्सा 1/15 जाति मीना सा.देह के नाम रहेगी।

इसी अनुसार पक्षकारान् के खाते पृथक–पृथक दर्ज किये जावें।विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी। साथ ही विभाजन स्कीम में अंकित खसरा नम्बरान् 3348,3347,3346,3360 ग्राम खण्डीप के बाबत् वादी व प्रतिवादीगण पृथक से दावा करने को स्वतंत्र रहेगें। पर्चा डिकी पृथक से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 2/1/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–जाब्ता दीवानी)

Judi/Civil
Part IV-10

(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

आज अदालत उप जिलाकलेक्टर मुकाम वजीरपुर
इजलास नरेन्द्र कुमार मीना, आर०ए०एस०

उनवान

1.भंवरपाल पुत्र ठण्डी जाति मीना निवासी खण्डीप तहसील वजीरपुर

––वादी

बनाम

1.किरोडी पुत्र घमण्डी जाति मीना निवासी खण्डीप तहसील वजीरपुर
2.गबरी पुत्र घमण्डी जाति मीना निवासी खण्डीप तहसील वजीरपुर
3.लैण्डहोल्डर जरिये तहसीलदार वजीरपुर
4.जगनीलाल पुत्र भूपाल जाति मीना निवासी खण्डीप तहसील वजीरपुर
5.श्यामलाल पुत्र भूपाल जाति मीना निवासी खण्डीप तहसील वजीरपुर
6.मु.गुलबाई बेवा स्व० भूपाल जाति मीना निवासी खण्डीप तहसील वजीरपुर

––प्रतिवादीगण

दावा बाबत् भूमि विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री मो.इस्लाम,एडवोकेट प्रतिवादी संख्या 1 की और से

मुकदमा नं. – 112/2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री मो. इस्लाम, एडवोकेट की उपस्थिति में हुक्म दिया जाता है दावा वादी इस आशय का डिकी किया जाता है कि :–

1.खसरा नं02252 रकवा 0.10 हैक्टर,3339 रकवा 0.09 हैक्टर,3349 रकवा 0.26 हैक्टर,3356 रकवा 0.40 हैक्टर,3357 रकवा 0.37 हैक्टर,2021/1 रकवा 0.10 हैक्टर,2042 रकवा 0.03 हैक्टर, 2051 रकवा 0.29 हैक्टर ,2204/1 रकवा 0.23 हैक्टर कुल किता 9 कुल रकवा 1.87 हैक्टर भंवरपाल पुत्र ठण्डी जाति मीना सा. देह खातेदार रहिन अरावली क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा खण्डीप के हिस्से में रहेगी।

2.खसरा नं02268 रकवा 0.23 हैक्टर, 3393/2 रकवा 0.12 हैक्टर, 3355 रकवा 0. 54 हैक्टर, 2008 रकवा 0.07 हैक्टर, 2021 रकवा 0.04 हैक्टर, 2042/1 रकवा 0. 02 हैक्टर, 2052 रकवा 0.17 हैक्टर, 2053 रकवा 0.11 हैक्टर, 2204 रकवा 0.04 हैक्टर,2205/1 रकवा 0.03 हैक्टर कुल किता 10 कुल रकवा 1.37 हैक्टर गबरी पुत्र घमण्डी जाति मीना सा.देह खातेदार राहिन बडोदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा खण्डीप के हिस्से में रहेगी।

3.खसरा नं0 2259 रकवा 0.18 हैक्टर, 3393/1 रकवा 0.31 हैक्टर, 3352 रकवा 0.31 हैक्टर, 3353 रकवा 0.30 हैक्टर, 3354 रकवा 0.30 हैक्टर, 3358 रकवा 0.47 हैक्टर, 2021/2 रकवा 0.10 हैक्टर,2053/1 रकवा 0.06 हैक्टर, 2054 रकवा 0.15 हैक्टर, 2055 रकवा 0.06 हैक्टर,2205 रकवा 0.07 हैक्टर कुल किता 11 कुल रकवा 2.31 हैक्टर, किरोडी पुत्र घमण्डी जाति मीना सा.देह राहिन बडोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा खण्डीप के हिस्से में रहेगी।

4.खसरा नं0 2786/4344 रकवा 0.05 हैक्टर, 3350 रकवा 0.10 हैक्टर, 3351 रकवा 0.03 हैक्टर, 2258 रकवा 0.02 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकवा 0.20 हैक्टर, भंवरपाल पुत्र ठण्डी जाति मीना सा.देह हिस्सा 1/3 राहिन अरावली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा खण्डीप, गबरी, किरोडी पिसरान् घमण्डी जाति मीना सा.देह हिस्सा 2/3 राहिन बडोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा खण्डीप जाति मीना सा. देह खातेदार के हिस्से में रहेगी।

5.खसरा नं0 2043 रकवा 0.03 हैक्टर,2056 रकवा 0.10 हैक्टर,कुल किता 2 कुल रकवा 0.13 हैक्टर भवंरपाल,गबरी,किरोडी,नारायण पिसरान् ठण्डी हिस्सा 4/5, जमनीलाल,श्यामलाल, पुत्र भूपाल हिस्सा 2/15, गुलबाई पत्नि स्व0 भूपाल हिस्सा 1/15, गुलबाई पत्नि स्व0 भूपाल हिस्सा 1/15 जाति मीना सा.देह के नाम रहेगी।

इसी अनुसार पक्षकारान् के खाते पृथक–पृथक दर्ज किये जावें।विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी। साथ ही विभाजन स्कीम में अंकित खसरा नम्बरान् 3348,3347,3346,3360 ग्राम खण्डीप के बाबत् वादी व प्रतिवादीगण पृथक से दावा करने को स्वतंत्र रहेगें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 2/9/.2021 को जारी किया गया ।

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उप जिलाकलेक्टर
वजीरपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुददायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मिजान		

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उप जिलाकलेक्टर
वजीरपुर

न्यायालय उप जिला कलेक्टर वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर

क्रमांक / कोर्ट / 2021 / 1139 दिनांकः– 29.10.2021

संशोधित आदेश

न्यायालय हाजा द्वारा उनवानी प्रकरण भंवरपाल बनाम किरोडी मुकदमा नंबर 112 / 2020 में पूर्व में दिनांक 2.9.2021 को जारी निर्णय एवं डिक्री मे लिपिकीय त्रुटीवश टाईपिंग में गलती हुई थी जिनमें निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:–

1. उक्त निर्णय के पृष्ठ संख्या 5 में जारी आदेश के बिन्दु संख्या 2 एवं डिक्री के बिन्दु संख्या 2 में खसरा नंबर 3393 / 2 के स्थान पर 3339 / 2 पढा जावे एवं खसरा नंबर 2008, 2021, 2042 / 1, 2052, 2053, 2204, 2205 / 1 गबरी पुत्र घमण्डी जाति मीना सा.देह खातेदार राहिन बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा खण्डीप के स्थान पर खसरा नंबर 2008, 2021, 2042 / 1, 2052, 2053, 2204, 2205 / 1 को बिलारहन पढा जावे।
2. उक्त निर्णय के पृष्ठ संख्या 5 में जारी आदेश के बिन्दु संख्या 3 एवं डिक्री के बिन्दु संख्या 3 में खसरा नंबर 3393 / 1 के स्थान पर 3339 / 1 पढा जावे एवं खसरा नंबर 2259, 2021 / 2, 2053 / 1, 2054, 2055 एवं 2205 किरोडी पुत्र घमण्डी जाति मीना सा.देह राहिन बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा खण्डीप के स्थान पर खसरा नंबर 2259, 2021 / 2, 2053 / 1, 2054, 2055 एवं 2205 किरोडी पुत्र घमण्डी जाति मीना को बिलारहन पढा जावे।
3. उक्त निर्णय के अन्तिम पृष्ठ संख्या 6 में जारी आदेश के बिन्दु संख्या 5 एवं डिक्री के बिन्दु संख्या 5 में गुलबाई पत्नि स्व0 भूपाल हिस्सा 1 / 15 की दोहरी प्रविष्ठी हो गई है। अतः गुलबाई पत्नि स्व0 भूपाल हिस्सा 1 / 15 को एकबार पढा जावे।

उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर

क्रमांक / कोर्ट / 2021 / 1140-1150 दिनांकः– 29.10.2021

1. प्रतिलिपि तहसीलदार वजीरपुर को पालनार्थ प्रेषित है।
2. रक्षित पत्रावली

उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर